आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.....82...../17–18

राज्य बनाम पान गुमटी

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई व बाद के टिप्पणी तारीख–सहित 3
	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में महिषी थाना कांड संख्या–243/17 दिनांक–22.11.2017 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत पान की गुमटी को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि महिषी थाना कांड संख्या–243/17 दिनांक– 22.11.2017 में यह कांड पु0अ0नि0 हरेश्वर प्रसाद सिंह थानाध्यक्ष महिषी थाना के स्वलिखित ब्यान पर दिनांक–22.11.17 को विरूद्ध नागो पासवान पे0 नारायण पासवान सा0 पस्तवार थाना महिषी जिला सहरसा को अवैध रूप से विदेशी शराब 2.205 लीटर रखने व बेचने के आरोप में रंगेहाथ ग्राम परतवार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बरामद विदेशी शराब को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन विभाग, बिहार पटना को जॉच हेतु भेजा गया है। कांड में अनुसंधान वाद आरोप पत्र भी समर्पित किया गया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि पान की गुमटी से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पान की गुमटी से शराब का कारोवार किया गया है। पान की गुमटी का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद	

अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उक्त पान की गुमटी का अधिहरण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि पान गुमटी मालिक नागो पासवान पे0 नारायण पासवान ग्राम परतवार थाना महिषी जिला सहरसा का है। आवेदक निर्दोष व्यक्ति है। आवेदक के पान की गुमटी से कभी भी किसी भी प्रकार का शराब जप्त नहीं किया गया बल्कि ग्रामीण राजनीति के कारण आवेदक को फॅसाया गया है। श्रीमान् के द्वारा निर्गत नोटिश आवेदक को निश्चित तिथि के बाद हस्तगत कराया गया है। आवेदक द्वारा बताया गया कि श्रीमान् के द्वारा निर्गत नोटिश त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट है। नोटिश निर्गत में पान गुमटी का स्पष्ट वर्णन नहीं है न ही उनके स्वामित्व का वर्णन है। कोई ठोस जानकारी नहीं देने के कारण यह प्रतीत होता है कि पान की गुमटी अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उक्त पान की गुमटी से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पान की गुमटी का उपयोग अवैध शराब के कारोवार में किया जा रहा था तथा इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि पान की गुमटी का उपयोग अवैध शराब के कारोबार में नहीं किया जा रहा था।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पान की गुमटी से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद पान की गुमटी से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त पान की गुमटी का अंचलाधिकारी, महिषी से मूल्यांकन कराकर अभिलेख उपस्थापित करें।

दिनांक 25/6/19 .....वास्ते सुनवाई।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1011 /मद्य निषेध, सहरसा, दिनांक 29.6.19

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अधीक्षक मद्य निषेध,
सहरसा।